

असल काउंसेल दिनांक-08/5/12
न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद

वाद संख्या 30 सन 2012 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०भू राजस्व अधिनियम
ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव एवं रहीमाबाद परगना व तहसील सदर इलाहाबाद
उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट
एण्ड पावर्टी एलिविशन इलाहाबाद प्रति उ०प्र०राज्य व अन्य
द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी
निर्णय
=====

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट एण्ड पावर्टी एलिविशन इलाहा-
बाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व० शाम्भू नाथ तिवारी नि०
102 बेनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ने ग्राम शाहा उर्फ पीपल
गाँव परगना व तहसील सदर की आ०सं० 1 रकवा 0-0460हे०, आ०नं०005 रकवा
1-1350हे०, आ०नं०06 रकवा 0-2790हे० व आ०नं०02 रकवा 0-4140हे० व भौजा
रहीमाबाद परगना व तहसील सदर की आ०सं० 89 रकवा 0-1230हे०, आ०नं०091
रकवा 1-6870हे०, आ०नं०093 रकवा 0-3990हे० व आ०नं० 94 रकवा 0-6800हे०
को आबादी/अकृषिक घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई। तहसील के नायब तहसीलदार
दक्षिणी सदर की आख्या दिनांक 01-5-2012 जो तहसील सदर द्वारा
दिनांक 02-5-2012 को संस्तुति सहित अग्रसारित है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। ग्राम शाहा
उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर की उदरणा खतौनी 1418-1423फ० के खता
संख्या 653 के आ०सं० 1 रकवा 0-046हे० व इसी ग्राम शाहा परगना व तहसील सदर की
आ०सं० 5 रकवा 0-1350हे०, आ०सं०06 रकवा 0-2790हे० व आ०सं० 2 रकवा 0-
4140हे० व ग्राम रहीमाबाद के खता संख्या 6 के आ०सं० 89 रकवा 0-4630हे०
आ०सं० 91 रकवा 1-6870हे० तथा खता संख्या 7 के आ०सं० 93 रकवा 0-399हे०
व खता संख्या 40 के आ०सं० 94 रकवा 0-680हे० पर आवेदकपक्ष का नाम खतौर
संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रथमतः
गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में
लाई जा रही है। अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन
नहीं है।

आदेश
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना
व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की खतौनी 1418-1423फ० के खता संख्या 653
के आ०सं० 1 रकवा 0-046हे० खता संख्या 89 के आ०सं० 5 रकवा 0-1350हे०, आ०सं०06
रकवा 0-2790हे० व आ०सं० 2 रकवा 0-4140हे० तथा ग्राम रहीमाबाद परगना
व तहसील सदर इलाहाबाद की खतौनी 1416-1421फ० के खता

संख्या 6 के आ0सं0 89 रकवा 0-4630है0, आ0सं0 71 रकवा 1-6870है0, खाता संख्या 7 के गाटा संख्या 93 रकवा 0-399है0 व खाता संख्या 40 के आ0सं0 94 रकवा 0-680है0 जो उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवेलपमेंट फण्ड पावर्टी एलिवियेशन 18ए आकलैण्ड रोड जिला इलाहाबाद के नाम है को अकृषक घोषित करते हुए भू-राजस्व से मुक्त कर प्रख्यापित किया जाता है। इस आदेश से किसी सहकारीदार के अंश के क्षेत्रफल एवं स्थिति विशेष पर या स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज0वि0 अधिनियम की नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत इस आदेश की एक प्रति उप निर्बंधक सदर को निःशुल्क निर्बंधन हेतु भेजी जाय। परवाना जारी हो। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

४/5/12
 संतोष कुमार
 उप जिलाधिकारी सदर
 इलाहाबाद।

सत्यप्रति लिपि
 ४/5/12

दस्तावेज
 कार्यालय उप जिलाधिकारी
 इलाहाबाद


4
 13.002

71

- 1. रकवा डाकना रकम 09/5/12
- 2. दिनांक तथ्यायी नकल 09/5/12
- 3. दिनांक नकल देना की 09/5/12
- 4. टिकट का मूल्य 13.002
- 5. अन्य लगभग 3000 रु

४/5/12


कार्यालय परगनाधिकारी/परगना माधवपुर
 माधवपुर-इलाहाबाद



रगना
 या 653
 106
 परगना
 खाता

परी नक्शा मोजा - ७११/३ के पीपल गाँव परगना व तहसील सदर इलाहाबाद

(१)





28/12
 1970
 लाल सिंह यादव
 नाणसो (दक्षिणी)
 सदर-इलाहाबाद


1/5/12
 तहसील सदर
 इलाहाबाद

जजरी नक्शा मौजा - रहीमवादी परगना क तहसील सदर इलाहाबाद

शुद्ध




 1-5/01 2
 न 2105
 लाल सिंह यादव
 नाणस0(दक्षिणी)
 सदर-इलाहाबाद


 115/12
 11/5/12
 11/5/12